परिशिष्ट – "अ"

[11/7/2023]

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

प्रश्न सं. [क्र. 97]

क्रमांक एफ 10–5/07/23/यो.आ.सां. भोपाल, दिनांक 6/1/07

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषयः–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि लेप्स होने एवं विधायक निधि की राशि की स्वीकृति में विलम्ब होने विषयक।

विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उनके द्वारा यथा समय अनुशंसा करने के उपरांत भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत समय पर स्वीकृति एवं राशि जारी न होने से योजना की राशि व्यपगत (लेप्स) हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुये निर्देश दिये हैं कि मान. विधायकों द्वारा अनुशंसित प्रकरणों पर समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. विधायक निधि से कार्य स्वीकृति हेतु माननीय विधायकों से अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रशासकीय स्वीकृति अनिवार्य रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जहाँ प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से जारी होती है, वहाँ प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही राशि की प्रथम किश्त भी जारी की जावे। जहाँ प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से जारी की जानी है, वहां प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने से 15 दिवस के भीतर राशि की प्रथम किश्त अनिवार्य रूप से जारी की जाये।

2. विषयांकित योजना के तहत अनुशंसित प्रकरणों में प्रशासकीय स्वीकृति एवं राशि जारी होने में विलम्ब न हो, इस हेतु कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा की जानी चाहिये। उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न हो पाने पर कलेक्टर द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रकरण जिसमें विलम्ब हुआ की समीक्षा की जानी चाहिये कि विलम्ब क्यों हुआ?

हस्ता.
(मनोज झालानी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,मंत्रालय

पृ. क्रमांक एफ 10–5/07/23/यो.आ.सां. भोपाल, दिनांक 6/1/07

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर उनकी टीप कमांक 918 दिनांक 15.5.2006 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल, भोपाल।
4. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त जिला योजना अधिकारी, म.प्र. ।
6. आदेश पत्रावली।

हस्ता.
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय

परिशिष्ट 'a'

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 3924/2011/23-यो.आ.सां/17-पी.आई.सी./वि.नि. भोपाल, दिनांक 25/07/2011

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः विधायक स्वेच्छानुदान निधि के अन्तर्गत एक सप्ताह की अवधि में हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः विभाग का पत्र क्र. एफ 11-22/2009/23/योआरसां/भोपाल दिनांक 24.06.2009

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार विधायकों की स्वेच्छानुदान की राशि आदेश क्र. एफ 11-13/2011/23/योआरसां/दिनांक 2 जुलाई, 2011 द्वारा रू. 3.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 8.00 लाख की गई हैं। जिसकी प्रति आपकी ओर पृथक से प्रेषित की गई है।

विधानसभा में समय-समय पर चर्चा के समय माननीय विधायकगणों ने स्वेच्छानुदान की राशि हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध नहीं होने की बात उठाई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये है कि स्वेच्छानुदान की राशि संबंधित हितग्राहियों को अधिकतम 7 दिवस की अवधि में भुगतान हो जाना चाहिये।

अतः अब यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर अपने जिले में यह सुनिश्चित करेगें कि विधायक स्वेच्छानुदान निधि के अन्तर्गत माननीय विधायक से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को अनिवार्यतः हो जावे। यदि किसी स्तर पर विलम्ब होता है तो इस हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावे।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल